न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 12/2015

अपीलांटस	बनाम	रेस्पोडेटस
केसाराम पुत्र जोधाराम जाति बिश्नोई निवासी काकड़ों की ढाणी (चैनपुरा) तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर		1. श्रवण कुमार पुत्र खींयाराम 2. काली देवी पत्नी खींयाराम 3. सोनाराम पुत्र जोधाराम 4. सगराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी कांकड़ों की ढाणी (चैनपुरा) तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर 5. तहसीलदार धोरीमना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 17.06.2015 द्वारा तहसीलदार धोरीमना

उपस्थित– 1. श्री हुकमसिंह चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री भजनलाल गोदारा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 01से 04 की ओर से।
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 05 की ओर से।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश दिनांक 08.11.2016

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 04 की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 13 रकबा 05 विस्वा किस्म गैरमुमकीन ढाणी, खसरा नंबर 214 रकबा 208 बीघा 15 विस्वा मौजा काकड़ो की ढाणी पटवार मण्डल चैनपुरा तहसील धोरीमना में आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस का संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपनी–अपनी आवासीय ढाणियॉ बनाई हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 ने पटवारी हल्का के साथ मिल कर अपीलांट के अनपढ़ एवं

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अफीमची होने का फायदा उठाकर एवं अपीलांट को धोखे में रखकर, तहसीलदार धोरीमना से अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2015 पारित करवाया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 04 एवं उनके विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान ने गांव के मौजिज लोगो एवं रिश्तेदारो की समझाइस पर विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है।अतः तहसीलदार धोरीमना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.6.015 के तहत विभाजन एवं तरमीम निरस्त किये जाने पर हमें कोई आपति नहीं है। राजीनामा के आधार पर विचाराधीन अपील रिमाण्ड कर तहसीलदार धोरीमना को नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किये जाने का अनुरोध किया।

4. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप माफिक राजीनामा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.6.2015 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार धोरीमना को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान की उपस्थिति में मौके की जांच कर कब्जा काश्त अनुसार पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नाई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 08.11.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)